ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-I* Issue-VI* September-2016
Anthology : The Research

मानवाधिकार उद्देश्य और सिद्धांत

रूपा सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर,
हिन्दी विभाग,
बाबू शोभाराम शासकीय कला महाविद्यालय,
अलवर, राजस्थान

सारांश

खून अपना हो या पराया हो
नस्ले आदम का खून है, आखिर
जंग मशारिक में हो कि मगरिब में
अपने आलम का खूं है, आखिर
इसलिए ऐ शरीफ इन्सानों
जंग टलती रहे तो बेहतर हैं
आज और हम, सभी के आंगन में
शमा जलती रहे तो बेहतर है.....।

जमील अंसारी

मानव जाति का इतिहास संघर्षों का इतिहास है। जहॉ संघर्ष हो वहां अधिकार नजर आते हैं। अधिकार प्रकृति की जड़ में समाहित है। मनुष्य की नैचुरल राइट्स बहुत कम है, जैसे – भोजन, कपड़ा, आवास, शारीरिक आवश्यकताए और साफ–सुथरा समाज। जैसे–जैसे मानव समाज का विकास होता गया, शिक्षा और जानकारी बढ़ी, इन आवश्यकताओं के स्तर और स्वरूप में भी परिवर्तन आता गया। अब जरूरी हो गया कि इन आवश्कयताओं को व्यवस्थित किया जाये। इसका उद्देश्य यह था कि कोई शक्तिशाली हो या कमजोर, प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवष्यकताओ की पूर्ति करने हुए सुखी जीवनयापन का अवसर भी मिले और अव्यवस्था भी नहीं। ये तो हुई नैसर्गिक अधिकार अर्थात नैचुरली राइट्स। लेकिन मानवधिकार इससे भिन्न है। यह भिन्नता इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि जहां नैसर्गिक अधिकार मनुष्य को जीने का अधिकार देते हैं, नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा जहां व्यक्ति स्वयं करता था, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिये संघर्षरत होता था, वहां उत्तरजीविता अर्थात Survival of the Fittest का नियम लागू होता था, उसके बनिस्पत मानवाधिकारों की रक्षा का दायित्व राज्य या सरकार को दी गई। साथ ही इन सबकी जिम्मेदारी समाज के अन्य सदस्यों और संस्थाओं को भी सौंपी गई। मानवधिकार का मूल सिद्धात था–

हर एक व्यक्ति के अधिकारों का आदर हों और हर एक नागरिक का यह कर्तव्य हो कि वह दूसरों के अधिकार का आदर करे। मानवाधिकरों का हनन होने पर राज्य या सरकार की दख्लअंदाजी होती है और बडे पैमाने पर राज्य द्वारा ही मानवाधिकारों का हनन करने पर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के हस्तक्षेप और बल प्रयोग का प्रावधान उपलब्ध है अर्थात् आधुनिक मानवाधिकारों में अधिकारों और कर्तव्यों के समन्वय और सामंजस्य पर जोर दिया गया और व्यक्गित अधिकारों पर सामूहिक अधिकारों की महत्ता प्रदान की गई।

मुख्य शब्द : मानवाधिकार, सयुंक्त राष्ट्र संघ

प्रस्तावना

हमारें यहां लिखित इतिहास और अनेक धार्मिक पुस्तकों, ग्रंथों में मानवाधिकारों के संदर्भ में वर्णन तो पाये जाते है, लेकिन वे मानव–अधिकार दरअसल कौन–से है इसकी स्पष्ट रूपरेखा नहीं मिलती। इसके बारे में जानना आवश्यक हैं ताकि हम अपने प्रान्य अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें इसके इतिहास को खंगालने पर पता चलता है। कि सर्वप्रथम इंग्लैण्ड में शासक सुधारों का एक मांग पत्र तैयार किया गया। स्टीफन लागून के नेतृत्व में तैयार इस पत्र को किंग जॉन द्वारा स्वीकृत किया गया। आधुनिक इतिहासकार इस विषय में एकमात्र है कि सन् 1215 ईं के मैगना कार्ट (Magna Carta) में एक अधिकार याचना शुरूआत हुई थी जिसे यूरोप के आधुनिक मानवाधिकारों की आवधारणा के शुरूआत के रूप में देखा जा सकता है। मानवाधिकार के विकास के चरणों में, इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय (1642–49) के समय की जन–जागृति को याद किया जा सकता है। जब जनता ने अपने अधिकरों के लिये राजा के विरूद्ध

आवाज उठाई। इंग्लैंड के एक अन्य शासक जेम्स II को अपना देश छोड़कर फ्रांस में भागकर शरण लेनी पड़ी। इसके बाद 1689 में इंग्लैंड का अधिकार विधेयक पास हुआ और फिर 04 जुलाई 1776 में संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता के समय अमेरिका संविधान में 'बिल ऑफ राइट्स' (Bill of Rights) को साकार रूप प्रदान किया गया। यद्धपि यह घोषणा जारी स्तर पर हुई लेकिन फिर भी नीग्रो और गुलामों का शोषण होता रहा था। अमेरिका में दासप्रथा का पूर्णतः अतः 1863 में हुआ। इस अमेरिकी क्रांति का नारा था 'सत्ता का स्त्रोंत जनता है'। यह सचमुच मानवाधिकारों का प्रथम परिचय था।

सन् 1789 ई0 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई इसका मुख्य संदेश था– विश्व–बंधुत्व, समानता और स्वतंत्रता 1 1893 में फ्रांस सरकार ने राजनीति का अधिकारों और कई स्वतंत्रता संबंधी घोषणाएं की जिनमें प्रेस की स्वंतत्रता भी थी। 1915 में प्रारम्भ हुए विश्वयुद्ध को टालने के लिए भी कई कोशिशें की गई और इस प्रयास के फलस्वरूप 'लीग ऑफ सोसायटी' की स्थापना हुई। उधर अन्य देशों ने भी युद्ध की अनुपयोगिता और जान–माल के भारी नुकसान से इसकी विध्वंसक प्रवृत्ति को समय लिया था। परिणामस्वरूप एक ऐसी आधारशिला तैयार हो चुकी थी जिस पर शांत स्थापना हेतु समान विचार वाले राष्ट्र एक बहुराष्ट्रीय संगठन बना सकें।

मानवाधिकारों की प्रतिरक्षा और शांति का वातावरण बहाल हो सकें इसके लिये पेरिस में एक शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में कुल 42 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह महत्वपूर्ण सम्मेलन था क्योंकि वार्साय संधि ट्रियनों संधि आदि इसी में परिणति को प्राप्त हुई। अन्ततः 1920 में जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उसे सभी सदस्य राष्ट्रों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया और 'लीग ऑफ नेशन्स' अस्तित्व में आया।

League of Nations अर्थात् राष्ट्रसंघ का अब तक का स्वरूप इतना मजबूत न हो सका था कि वह द्वितीय विश्व युद्ध का संकट टाल सकती इसलिये सन् 1929 में अन्तर्राष्ट्रीय विधि संस्थान न्यूयॉर्क (Institute of international law)ने मानव अधिकार और कर्तव्यों पर एक दस्तावेज पारित किया। इसके तुरंत बाद सन् 1945 में अंतर–अमेरिकन कान्फ्रेंस (Inter American Conference) कर एक अन्तर्राष्ट्रीय फोरम की स्थापना की बात कही गई। किंतु यहां यह स्पष्ट करना अति महत्वपूर्ण है कि मानवाधिकरों की आधुनिक धारणों पर आधारित इतिहास वस्तुतः अगस्त 1941 के अटलांटिक चार्टर से शुरू होता है। जिसको 1 जनवरी 1942 को अंगीकृत किया गया।

अभी तक विश्वयुद्ध रूका नहीं था। 1941 में जहां रूस ने हमला बोला और 2 करोड़ से ज्यादा जाने गंवाकर 25 नवंबर 1944 को स्वतंत्रता हासिल की वहीं 5 अगस्त, 1945 का दिन विश्व इतिहास में मानवाधिकार हनन का सबसे काला अध्याय था। इसी दिन हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु आक्रमण की भेंट चढ़े। इस प्रकार एक लंबा सफर तय करते हुए मानवाधिकार उस मुकाम पर पहुंये जब संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई और मानवाधिकरों संबंधी सार्वभौम घोषणा की गई।

उद्देश्य

संक्षेप में हम कह सकते हैं ... और वह स्वतंत्र रहकर अपना सर्वांगीण विकास कर विश्वबंधुत्व और शांति की ओर अग्रसर हो सके। मानवाधिकारों के इन्हीं उद्देष्यों से संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देष्य विस्तार पाते हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये जो बुनियादी सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये, वे इस प्रकार हैः–

1. सभी मानव समान है, उन्हें समान मानवाधिकार प्राप्त हैं।
2. ईश्वर ने हमें जीवन दिया और उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की है।
3. मानवाधिकार बिना भेदभाव के हर मानव में निहित है, न कि किसी सत्ता, कानून या संस्थान में।
4. ये अधिकार हर जगह, हर समय और हर स्थिति में मानव को उपलब्ध है।
5. मानवाधिकारों का स्वरूप जन्मजात,बुनियादी, सार्वभौमिक और अविभाज्य है।

हमें यह जानना जरूरी है कि 10 दिसम्बर, 1948 को पास किये घोषणा पत्र (Universal Declaration of Human Right) में भी एक प्रस्तावना थी और इसमें एक से लेकर तीस अनुच्छेद (Article) थे। प्रस्तावना में जिन मुख्य बातों को शामिल किया गया वे इस प्रकार हैं–

1. मानव–परिवार (समाज शब्द का उपयोग नहीं किया गया) की स्वतंत्र, न्याय और शांति की बुनियाद यह है कि हम यह स्वीकार करें। मान्यता दे कि मानव के पास आत्मसम्मान और बराबरी का जन्मजात अधिकार है।
2. सभी मानव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डर से मुक्ति का आनंद लें।
3. मानवाधिकारों का सम्मान कानून द्वारा होना चाहिए।
4. यह आवश्यक है कि विभिन्न राष्ट्र आपस में मित्रता और सद्भावना को प्रोत्साहन दें।
5. मानव–सम्मान महिलाओं और पुरूषों के लिये बराबर हो ताकि सामाजिक उन्नति हो सके।
6. सभी सदस्यों ने यह प्रण किया कि संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से वे मानवाधिकारों को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान दिलायेंगे और उन्हें सब जगह सभी परिस्थितियों में मनवायेंगे।

मानवाधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा के संबंध में उपर्युक्त बातों के अलावा निम्नलिखित सिद्धान्त भी लागू होते हैं –

1. ये कानून दुनिया के सभी देशों में हर समय लागू हैं।
2. ये हर व्यक्ति, समाज, समूह, जाति, सरकार, प्रशासनिक व्यवस्था (राजतंत्र, प्रजातंत्र, तानाशाही) पर लागू हैं।
3. ये हर स्थिति/अवस्था में लागू हैं चाहे शांति हो, युद्ध हो, आपात्काल हो या प्राकृतिक आपदा। मानव होने के नाते विश्व के किसी भी देश का नागरिक मानवाधिकारों का अधिकारी है।
4. मानवाधिकारों के प्रोत्साहन और उनके हनन को रोकने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है।

इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि मानवाधिकारों का दर्शन एक ऐसा प्राचीन दर्शन है जिसके उद्देश्य और

सिद्धान्त पूरी मानवता के लिये आवश्यक है। आधुनिक मानवाधिकार भी मनुष्य को उसकी मूलभूत आवश्यकताएं, स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान करने के लिये अस्तित्व में आये जो समानता, सार्वकालिकता और विश्व बंधुत्व सिद्धान्तों पर आधारित है।

निष्कर्ष

संक्षेप में हम कह सकते है। कि पूर्ण में मानवाधिकरों का उद्देश्य हालांकि शांति, बंधुत्व समानता स्थापित करना था लेकिन आधुनिक संदर्भों में दूसरा उद्देश्य मनुष्य को वह समस्त अधिकार जिससे उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो सकें और वह स्वतंत्र रहकर अपना सर्वांगीण विकास कर सकें।

सन्दर्थ ग्रन्थ सूची

हिन्दी पुस्तके

1. *मानवाधिकार दशा और दिशा– दामोदर मिश्रा एवं अखिल शुक्ला, पोइन्टर पब्लिकेशन, जयपुर। 2006*
2. *मानवाधिकार और कर्त्तव्य– डॉ0 कृष्ण कुमार शर्मा, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस। 2012*
3. *मानवाधिकार दशा और दिशा– डा0 आलोक कुमार मीणा एवं डा0 मीनाक्षी मीणा, गौतम बुक कम्पनी, राजापार्क, जयपुर। 2014*
4. *मानवाधिकार और दलित – डी0 पी0 सिंह, शील पब्लिकेशन एण्ड डिस्ट्रिब्युटर, दिल्ली। 2013*

English Books

1. *Human rights of women (National and international perspectives) –Dr.chenna Reddy, manglam publication, delhi .2010*
2. *Human rights, evolution, implementation and evalution, edited by –Alok kumar meena. Palam leaf publication, New delhi. 2013*